

an>

Title: Need to include Bhojpuri language in the Eighth Schedule to the Constitution.

श्री बरिन्द्र कुमार चौधरी (झंझारपुर) : भोजपुरी 20 करोड़ लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। उक्त भाषा पश्चिमी बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी झारखंड, उत्तरी मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के भागों में भारी संख्या में लोगों की मातृभाषा है। इस देश के अलावा कई अन्य देशों में भी भोजपुरी भाषा का ही प्रयोग करने वाले लोग निवास करते हैं।

नेपाल, सिंगापुर, मॉरीशस, फिजी, त्रिनिदाद, टैवैगो आदि कई देश हैं जहां भोजपुरी भाषा प्रमुखतया से बोली जाती है, लेकिन विडम्बना है कि देश में करोड़ों लोगों द्वारा बोली जाने वाली भोजपुरी भाषा संविधान की आठवीं अनुसूची में अब तक जगह नहीं ले पायी है। संसद में कई बार ये मांग उठी है लेकिन सरकार द्वारा केवल आश्वासन ही मिलता रहा है।

अब समय आ गया है कि बिना किसी विलंब के भोजपुरी भाषा को भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में अविलंब सम्मिलित किया जाए।